रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1987/चैत्र 11, 1909
No. 152] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 1987/CHAITRA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

का. आ. 277(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (कठिनाईयों का निराकरण), आदेश 1987 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 1987 को प्रवृत्त होगा।

2. महानिदेशक के पद और शक्तियों के निबंधनों और शर्तों का विस्तार भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक के पद और शक्तियों के निबंधनों और शर्तों को उसके द्वारा विस्तारित किया जाता है और उक्त महानिदेशक, इसके पश्चात साठ दिन की अवधि के लिए या जब तक उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधिनियम महानिदेशक नियुक्त नहीं किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, महानिदेशक का पद धारण किए रहेगा, उसकी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा।

[सं. 8(1)/87-आई. एस. आई.]

पी. एन. कौल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 1st April, 1987

NOTIFICATION

S.O. 277(E).—In exercise of the powers conferred by Section 41 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby makes the following orders, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This order may be called the Bureau of Indian Standards (Removal of Difficulties) order, 1987.

(2) It shall come into force on the 1st day of April, 1987.

2. Extension of terms and conditions of office and powers of the Director General—The terms and conditions of office and powers of the Director General of the erstwhile Indian Standards Institution is hereby extended and the said Director General shall continue to hold office, exercise powers and discharge the functions of the Director General for a period of sixty days hereafter or till a new Director General is appointed under Section 4 of the said Act, whichever is earlier.

[No. 8(1)/87-ISI]

P. N. KAUL, Economic Adviser.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987